संख्या 769/69-1-15-69(बजट)/08

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद बलरामपुर, रायबरेली, मथुरा, बुलन्दशहर व संतकबीर नगर की 05 परियोजनाओं हेतु मूल्य वृद्धि के मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-665/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2015-16, दिनांक 22 मई, 2015, पत्र संख्या 828/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2015-16, दिनांक 02 जून, 2015, पत्र संख्या-826/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2015-16, दिनांक 02 जून, 2015, पत्र संख्या-5388/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 20 मार्च, 2015, व पत्र संख्या-661/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2015-16, दिनांक 22 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-बलरामपुर की नगर निकाय उतरौला की 60 आवासों के सापेक्ष के 08 आवासों, जनपद-मथुरा की नगर निकाय-नन्दगांव की 192 आवासों के सापेक्ष 99 आवासों, जनपद-बुलन्दशहर की नगर निकाय-खानपुर की 96 आवासों के सापेक्ष 18 आवासों एवं जनपद-संतकबीर नगर की नगर निकाय-हरिहरपुर की 72 आवासों के सापेक्ष 12 आवासों की 04 पुनरीक्षित परियोजनाओं हेतु क्रमशः रू0 23.67 लाख, रू0 434.54 लाख, रू0 58.30 लाख एवं रू0 47.94 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रश्नगत परियोजनाओं में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप संलग्न तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित देय अन्तर की धनराशि क्रमशः रू0 6.06 लाख, रू0 187.71 लाख, रू0 20.89 लाख व रू0 18.83 लाख एवं जनपद-रायबरेली की निकाय रायबरेली की 340 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 252 आवासों की 01 परियोजना, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 745/2015/1426/69-1-15-69(बजट)/08, दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के रूप में देय अन्तर की धनराशि रू0 61.79 लाख, अर्थात् उक्त पाँचों परियोजनाओं हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-11 में अंकित कुल मूल्यवृद्धि की धनराशि रू0 295.28 (रूपये दो करोड़ पन्चानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-15-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संचित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में आहरित कर व्यय किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपयुक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. 3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराई जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।

क्रमशः......2

पी0 सी0 ए0 /ओ0 अतुल, सी0

4. [illegible] बैंक के [illegible] से आहरण के [illegible] अभियन्ता [illegible] [illegible] का [illegible] निर्माण [illegible] [illegible] इकाई/उनके माध्यम से निर्माण [illegible] पर भी [illegible] सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई [illegible] किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का [illegible] किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में [illegible] धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में [illegible] किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ एवं [illegible] द्वारा [illegible] सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के [illegible]
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), [illegible], इलाहाबाद को [illegible] कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा [illegible] बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का [illegible] सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों [illegible] सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की [illegible] अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग [illegible] संख्या-बी-2-298/दस 2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया [illegible]
9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक [illegible] दायित्व सूडा/डूडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किश्तों की धनराशि [illegible] सूडा/डूडा स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त [illegible] उत्तरदायित्व सूडा/डूडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में उ0प्र0 के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा [illegible] औचित्य के मानकों का अनुपालन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य कर लिया जाए और [illegible] प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद [illegible] कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की धनराशि पर अपने [illegible] महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की दोहरावृत्ति/पुनरावृत्ति [illegible] द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध [illegible]) के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-[illegible]/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तविक रुप से किया जायेगा।
17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। अविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रुप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रुप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.........3

18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0यू0एच0ए0 (सूडा) यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में शहरी आवासीय इकाइयों के निर्माण/पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या- 1813/69-1-07-14(19)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या 1447/69-1-10-14(102)/07 दिनांक 22 जून, 2010 के अनुसार है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अधिक धनराशि यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से आवश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय कर ली जाय।
21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
22. सूडा द्वारा शासनादेश सं0 यू0डी0-29/69-1-14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत् जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-784/2015/1428 (1)/69-1-15-69(बजट)/08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, बलरामपुर/मथुरा/संतकबीर नगर/बुलन्दशहर।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-[illegible]/1129 /69-1-15-69(बजट)/08, दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद/परियोजना/कुल आवासों की संख्या	मूल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	मूल परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु प्रथम/द्वितीय किश्त/शार्टफाल व शेयर के रूप में कुल स्वीकृत धनराशि।	भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि।	पी0एम0यू0 डी0पी0ई0ए0सी0 सी0 द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित परियोजना लागत।	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान सहित)।	पुनरीक्षित परियोजना लागत के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के आवासों की परियोजना लागत (लाभार्थी अंशदान रहित)।	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बलरामपुर/उतरौला-60 आवास	173.86	06	17.39	15.83	0.48	236.79	23.67	22.[illegible]	[illegible]
2.	रायबरेली/रायबरेली-353/340 आवास	1219.06	252	903.53	1531.44	487.97	1526.27	1168.29	1105.26	61.79
2	मऊ/मुहम्मदाबाद-224/192 आवास	534.32 ([illegible] परियोजना की मूल लागत)	99	306.45	279.75	61.03	842.74	434.54	406.43	137.71
4.	बुलन्दशहर/खानपुर-96 आवास	221.40	18	41.51	34.94	-	310.95	58.30	55.83	20.80
5.	संतकबीर नगर/[illegible]-72 आवास	196.82	12	32.80	16.88	9.32	287.62	47.94	45.03	12.31
	योग									295.78

(रूपये दो करोड़ पन्चानबे लाख अठ्ठत्तर हजार मात्र)।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।